कार्यालय कलेक्टर जिला छतरपुर (मध्य प्रदेश)

छतरपुर, दिनांक 21 / 12 / 2020

—:: आदेश ::—

क्रमांक 277 / स्थापना / 2020 :: म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग, भोपाल द्वारा लोक सेवा प्रबंधन अंतर्गत कार्यालय सहायक सह डाटा एण्ट्री ऑपरेटर के संविदा 06 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञप्ति दिनांक 24.11.2020 को जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। कम्प्यूटर प्रोफिसिएन्सी परीक्षा में प्राप्तांकों (मैरिट) के आधार पर निम्नांकित अभ्यर्थियों को कार्यालय सहायक सह डाटा एण्ट्री ऑपरेटर (संविदा) के पद पर मानदेय रुपये 22770—00 (रुपये बाईस हजार सात सौ सत्तर) मासिक दर पर उपस्थिति दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर निम्नांकित शर्तों के अधीन पदस्थ किया जाता है :—

क्र0	अभ्यार्थी का नाम	पिता / पति का नाम	जिला	संवर्ग नियुक्ति	पदस्थी कार्यालय
1	2	3	4	5	6
1.	श्री भगवान सिंह दांगी	श्री रामचरण दांगी	राजगढ़	अनारक्षित	तहसील बड़ामलहरा
1.	श्री अशीष कुमार द्विवेदी	श्री गुलाब प्रसाद	रीवा	अनारक्षित	तहसील बक्सवाहा
3.	सुश्री मेघा सोनी	" राकेश सोनी	छतरपुर	अनारक्षित महिला	अनु.अधि. बिजावर
4.	कु.बृजलता भास्कर	" रमेश कुमार अहिरवार	पन्ना	अनु.जाति ओपन	अनु.अधि. लवकुशनगर
5.	कु.प्रभा साकेत	" रामप्रसाद अहिरवार	छतरपुर	अनु.जाति महिला	अनु.अधि. बड़ामलहरा
6.	श्री प्रेमनारायण चौहान	" गणेश प्रसाद चौहान	इन्दौर	अनु.ज.जाति ओपन	तहसील बिजावर

नोटः— सरल कमांक 1 पर अंकित अभ्यर्थी का चयन प्राविधिक है ।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

संविदा नियुक्ति की शर्तें :—

1. आदेश दिनांक से 15 दिवस के अन्दर कॉलम नं0 6 में अंकित पदस्थी स्थान पर उपस्थित होना अनिवार्य है नियत समयावधि में उपस्थित न होने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त हो जावेंगी।
2. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जावेगा।
3. नियुक्ति के पश्चात् मेडीकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र (फिटनेस), कार्य पर उपस्थित होने के अधिकतम 07 दिन की अवधि के अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।
4. नियुक्त संविदा कर्मचारी की सेवाएं निर्धारित अवधि के एक माह के नोटिस पर समाप्त की जा सकेगी। इस हेतु जिला कलेक्टर सक्षम अधिकारी होंगे।
5. नियुक्त संविदा कर्मचारी एक माह का पूर्व नोटिस देकर अथवा एक माह का पारिश्रमिक नगद जमा कर संविदा सेवा से त्यागपत्र दे सकता है।
6. नियुक्त संविदा कर्मचारी बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति / निर्देश के कार्यालय से संबंधित कोई सूचना / जानकारी किसी अन्य व्यक्ति / संस्था / विभाग या किसी भी माध्यम से नही देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नही करेगा।
7. कार्यालय में संविदा सेवा अवधि के दौरान अन्य किसी भी प्रकार के संस्थानो / कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार के व्यापार / व्यवसाय करने पर प्रतिबंध लागू रहेगा।

896

8. नियुक्त संविदा कर्मचारी मध्यप्रदेश में कर्मचारियों पर लागू मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियमों के पालन हेतु बाध्य होगा।
9. नियुक्त संविदा कर्मचारी को शासन/कलेक्टर द्वारा समय–समय पर सौंपे गए अन्य समस्त कार्यालयीन कार्य भी संपादित करने होंगे।
10. नियुक्त संविदा कर्मचारी की आधारभूत एवं उसके दायित्वों से संबंधित प्रशिक्षणो में भाग लेना अनिवार्य होगा।
11. नियुक्त संविदा कर्मचारी का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जावेगा। चरित्र के संबंध में किसी भी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति, बिना कोई कारण बताऐ तत्काल रद्द कर दी जायेगी।
12. नियुक्त संविदा कर्मचारी को कदाचार या किसी अपराधिक कियाकलाप में संलग्न होने पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेंगे।
13. नियुक्त संविदा कर्मचारी उसके पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संविदा में माना जायेगा। संविदा पर नियुक्ति कर्मचारी के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संविदा अवधि एक वर्ष के लिए वैद्य होगी।
14. यदि संविदा पर नियुक्त कोई भी व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट कारण के और बिना सूचना के अपने कर्तव्य से 01 माह से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति ऐसी अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

21/12/2020

कलेक्टर
जिला छतरपुर म0प्र0

पृष्ठां0 क्रमांक. 820 /स्थापना/2020 छतरपुर, दिनांक 21 /12/2020

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख राजस्व आयुक्त, म0प्र0 राजस्व भवन, अरेरा हिल्स भोपाल।
2. प्रभारी अधिकारी, वित्त शाखा, कलेक्ट्रेट छतरपुर, म0प्र0 ।
3. जिला कोषालय अधिकारी छतरपुर।
4. जिला प्रबंधक लोक सेवा गारंटी /ई–गवर्नेंस छतरपुर।
5. अनुविभागीय अधिकारी(रा0) विजावर, बड़ामलहरा एवं लवकुशनगर जिला छतरपुर (म.प्र.)।
6. तहसीलदार, विजावर, बड़ामलहरा, एवं बक्स्वाहा जिला छतरपुर, म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. संबंधीजन श्री
8. आदेश पत्रावली।

को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर
जिला छतरपुर म0प्र0